

L-2

(D)

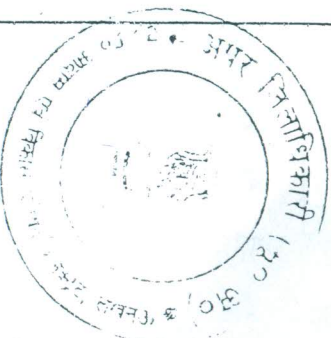
परिग्रह-पत्र

1. योजना का नाम : सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ

2. ग्राम का नाम : देवामऊ परगना-बिजनौर तहसील व जिला-लखनऊ

शासन की विज्ञापि संख्या-2686/आठ-2-2007-04 एच0वी0/2005 दिनांक 05.12.07 के अन्तर्गत धारा-17 भूमि अध्यापि अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि में से 21.981 हेक्टेअर भूमि का कब्जा जिसका विवरण निम्नवत है तथा अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में परिग्रह पत्रके पृष्ठ-4 पर प्रस्तर 2 व संलग्न सूची के अनुसार आज दिनांक.07-10-08 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को जरिए 1105सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-7, इन्दिरा नगर, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है :-

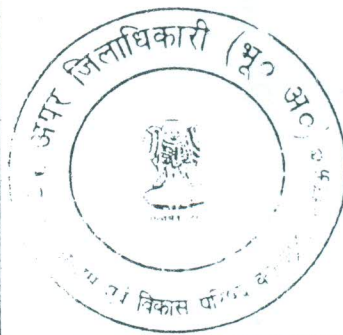
| ग्राम-देवामऊ | खसरा सं०   | क्षेत्रफल (हे० मे) | अन्य विवरण |
|--------------|------------|--------------------|------------|
|              | 95         | 0.382              |            |
|              | 96         | 0.132              |            |
|              | 98         | 0.689              |            |
|              | 99         | 0.256              |            |
|              | 100        | 0.435              |            |
|              | 103        | 0.251              |            |
|              | 104        | 0.250              |            |
|              | 109        | 0.004              |            |
|              | 125        | 0.556              |            |
|              | 126        | 0.180              |            |
|              | 128        | 0.013              |            |
|              | 129        | 0.230              |            |
|              | 130        | 0.202              |            |
|              | 131        | 0.291              |            |
|              | 132        | 0.177              |            |
|              | 133        | 0.274              |            |
|              | 134        | 0.986              |            |
|              | 138        | 0.610              |            |
|              | 139        | 0.46               |            |
|              | 140        | 0.240              |            |
|              | 141        | 0.228              |            |
|              | 142        | 0.680              |            |
|              | 143        | 0.582              |            |
|              | 144        | 0.442              |            |
|              | 145        | 0.039              |            |
|              | 146        | 0.039              |            |
|              | Carry Over | 8.628              |            |



क्रमशः पेज....2 पर

43

|  |            |        |  |
|--|------------|--------|--|
|  | B/F        | 8.628  |  |
|  | 147        | 1.030  |  |
|  | 149        | 0.038  |  |
|  | 150        | 0.041  |  |
|  | 151        | 0.042  |  |
|  | 152        | 0.386  |  |
|  | 153        | 0.641  |  |
|  | 154        | 0.357  |  |
|  | 155        | 0.087  |  |
|  | 156        | 0.035  |  |
|  | 157        | 0.098  |  |
|  | 158        | 0.117  |  |
|  | 159        | 0.001  |  |
|  | 162        | 0.360  |  |
|  | 163        | 0.252  |  |
|  | 164        | 0.355  |  |
|  | 165        | 0.278  |  |
|  | 166        | 0.250  |  |
|  | 168        | 0.678  |  |
|  | 170        | 0.225  |  |
|  | 171        | 0.306  |  |
|  | 173        | 0.413  |  |
|  | 174        | 0.093  |  |
|  | 175        | 0.122  |  |
|  | 176        | 0.058  |  |
|  | 177        | 0.185  |  |
|  | 178        | 0.016  |  |
|  | 186        | 0.279  |  |
|  | 187        | 0.519  |  |
|  | 188        | 0.163  |  |
|  | 189        | 0.271  |  |
|  | Carry Over | 16.324 |  |



*[Handwritten signature]*

सहायक अभियन्ता  
निर्माण एवं संरक्षण  
जिला विकास परिषद, द. ग. क.

सुल्तानपुर रोड योजना में धारा-32 के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम  
समाज/नजूल/सीलिंग/सरकारी भूमि की सूची  
ग्राम का नाम : देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

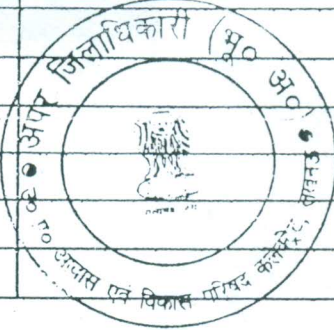
| क0सं0 | खसरा संख्या  | क्षेत्रफल (हे0 में ) | अन्य विवरण  |
|-------|--------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3                    | 4           |
| 1     | 97           | 0.006                | नाली        |
| 2     | 105          | 0.183                | रास्ता      |
| 3     | 115          | 0.332                | पुरानी परती |
| 4     | 116          | 0.074                | पुरानी परती |
| 5     | 122          | 0.187                | रास्ता      |
| 6     | 135          | 1.242                | रास्ता      |
| 7     | 136          | 0.761                | रास्ता      |
| 8     | 148          | 0.032                | नाली        |
| 9     | 160          | 0.025                | रास्ता      |
| 10    | 161          | 0.036                | नाली        |
| 11    | 167          | 0.025                | नाली        |
| 12    | 169          | 0.038                | ऊसर         |
| 13    | 179          | 0.082                | रास्ता      |
| 14    | 180          | 0.200                | खलिहान      |
| 15    | 202          | 0.112                | नाली        |
| 16    | 223          | 0.089                | बंजर        |
| 17    | 224          | 0.013                | बंजर        |
| 18    | 232          | 0.200                | पुरानी परती |
| 19    | 233          | 0.316                | रास्ता      |
| 20    | 237          | 0.086                | रास्ता      |
| 21    | 240          | 1.278                | पशुचर       |
| 22    | 24/246       | 0.847                | पशुचर       |
|       | <b>Total</b> | <b>6.164</b>         |             |

  
अवर-अभियन्ता

  
सहायक अभियन्ता

44

|  |         |        |  |
|--|---------|--------|--|
|  | B/F     | 19.517 |  |
|  | 235     | 0.696  |  |
|  | 236     | 0.653  |  |
|  | 238     | 0.063  |  |
|  | 239     | 0.164  |  |
|  | 241     | 0.430  |  |
|  | 242     | 0.114  |  |
|  | 243     | 0.164  |  |
|  | 244     | 0.063  |  |
|  | 92/247  | 0.059  |  |
|  | 160/248 | 0.058  |  |
|  | Total   | 21.981 |  |



- नोट: 1 उपरोक्त भूमि के कास्तकारों को बाग-बहार एवं फसल को पकने पर उठा लेने की अनुमति दी जाती है, अब कोई फसल बोने एवं मिट्टी बेचने का अधिकार न होगा।
- 2 परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वे दिनांक 26.08.08 तथा नियोजन समिति की आख्या के दृष्टिगत वस्तुस्थिति की सूची (प्रति संलग्न) जो कि इस कब्जा प्रमाण पत्र का हिस्सा होगी, के कालम 5 व 12 पर अर्जन निकाय द्वारा की गयी टिप्पणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 3 नहर, संड़क, ग्राम समाज एवं समाधि, मन्दिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थल तथा सरकारी विभागों की भूमि को छोड़ कर कब्जा दिया जा रहा है।
- 4 उपरोक्त खसरा नम्बरों की उल्लिखित भूमि का कब्जा उपर्युक्त नोट के क्रमांक 1 से 4 के अधीन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निकाय) को आज दिनांक 7-10-08 को हस्तान्तरित किया गया।

(कौशल किशोर श्रीवास्तव)

अमीन

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ  
प्रतिहस्ताक्षरित

(रमेश चन्द्र यादव)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-7

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर,  
लखनऊ  
प्रतिहस्ताक्षरित

(अमिताभ प्रकाश)

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ



(राजीव कुमार)

अधिशायी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-7

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर,  
लखनऊ।